E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(2): 371-375
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 13-10-2024
Accepted: 14-11-2024

नीरज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, पी. जी. राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत।

Corresponding Author:
नीरज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, पी. जी. राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत।

भारत के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों का विश्लेषण

नीरज कुमार

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i2e.419

सारांश
संपूर्ण विश्व के कल्याण तथा समृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत् विकास लक्ष्य का निर्धारण किया है। जिनका लक्ष्य पूरी मानवता समस्याओं को दूर करके की विश्व का कल्याण करना है। सतत् विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से संबंधित हैं। 17 लक्ष्यों के द्वारा एक व्यापक दायरे को इसमें शामिल किया गया है। इस शोध पत्र का उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों का वर्णन तथा विश्लेषण करना है।

मूल शब्दः गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना
सतत् विकास की अवधारणा के आने के बाद से लगातार संपूर्ण विश्व तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे प्राप्त करने के लिए सक्रिय है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सतत् विकास लक्ष्यों की घोषणा की। इन लक्ष्यों की संख्या 17 है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें विकास के सभी आयामों को समेटने का प्रयास किया गया है। इसमें सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य भी हैं। मनुष्य के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विकास के इस आयाम को महत्वपूर्ण स्थान देना अनिवार्य है। भारत जैसे देश के लिए सामाजिक क्षेत्र में विकास करना अति महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान भी सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करता है। संविधान समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण पर भी जोर देता है। भारत सरकार ने भी आजादी के बाद से सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया है । सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों का वर्णन इस प्रकार है–

गरीबी का अंत
प्रथम लक्ष्य का उद्देश्य गरीबी के सभी प्रकारों का अंत करना है। इस लक्ष्य का यह भी उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक संसाधन तथा मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच आसान हो। इन संसाधनों के पहुंच तक कोई असमानता ना हो। भारत सरकार आरंभ से ही गरीबी निवारण के बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन कर रही है तथा इसके लिए सरकार ने बहुत सी रणनीतियों का भी प्रयोग किया है । जिसमें सरकार को सफलता भी प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने गरीबी अंत करने के लिए दो तरह के रणनीतियों का प्रयोग किया है। पहली समाज के गरीब वर्ग को सरकारी सहायता प्रदान करना। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव संसाधन का विकास करके सशक्तीकरण किया जा सके । सशक्तीकरण के द्वारा वे समाज में उपलब्ध संसाधनों अवसरों का सही उपयोग कर सकें। दूसरी रणनीति के तहत सरकार ने कई योजनाओं का संचालन किया है। जिससे रोजगार का सृजन हो, आम नागरिक इसके माध्यम से अर्थ का अर्जन कर सकें । पिछले 9 वर्षों में भारत में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से दूर हुए हैं [1]। गरीबों की यह गिरावट भारत के गरीब राज्यों में तेजी से हुई है । भारत 2030 से पहले ही सतत् विकास लक्ष्य 1.2 को प्राप्त कर लेगा [2] । भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के निवारण के लिए तथा लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा नामक योजना का निर्माण किया है। इससे काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता व सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है।

मनरेगा के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में अब तक पूरे देश में लगभग 5 करोड़ परिवारों के 6.7 करोड़ से अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया है [3]। इन आंकड़ों की बावजूद भारत के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी निवारण के और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता तथा अन्य रोजगार के साधनों का अभाव गरीबी का मुख्य कारण है। शहरी क्षेत्र के लिए भी सरकार को मनरेगा जैसी कोई योजना का निर्माण करना चाहिए । सभी क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए सरकार को एक दीर्घकालिक रणनीति का निर्माण करना चाहिए।

भूख की समाप्ति

हरित क्रांति के कारण भारत में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत अब इस संदर्भ में आत्मनिर्भर है। भारत बहुत से अनाज का निर्यात करता है। इसके बावजूद भारत में एक बड़ी आबादी को खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है । इसके दो प्रमुख कारण है–गरीबी तथा अनाज का सही प्रबंधन ना होना। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग आम जनता तक अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। परंतु इस प्रणाली में भी कमियां है तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिसके चलते योग्य लाभार्थियों तक अनाज कि पहुंच नहीं हो पाती है। सार्वजनिक वितरण प्राणी की कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने "एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड" की योजना का निर्माण किया है। भारत में फसल की पैदावार के उपरांत बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है। इसका प्रमुख कारण परिवहन, भंडारण तथा आधारभूत संरचना का अभाव है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि का निर्माण किया है। भारत सरकार ने भुखमरी को दूर करने के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया है। जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013, एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

अच्छा स्वास्थ्य

स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अतः एक कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। भारत सरकार आजादी के बाद से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा स्थितियों में सुधार भी हुआ है । परंतु इसके साथ–साथ काफी समस्याएं भी अभी बाकी हैं। भारत ने सुव्यवस्थित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार किया है। जीवन प्रत्याशा, जो वर्ष 1947 में 32 वर्ष थी, बढ़कर फिलहाल 66.8 वर्ष हो गई है। नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) 50 प्रति हजार जीवित जन्मों तक कम हो गई है। तथापि, कुपोषण तथा नवजात एवं मातृ रोगों के स्तर अभी भी उच्च हैं। अपर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की वजह से लगभग एक मिलियन भारतीयों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है तथा 700 मिलियन लोगों को विशेषज्ञ परिचर्या सुलभ नहीं है एवं 80 प्रतिशत विशेषज्ञ शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं[4]। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के विस्तार के लिए सरकारों द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता अपर्याप्त रही है। अधिकतर राज्यों में वेतन तथा पारिश्रमिक का व्यय ही कुल स्वास्थ्य बजट का 70 प्रतिशत बैठ जाता है। जिससे सेवाओं के विस्तार के लिए मुश्किल से कोई संसाधन बचता है [5]। भारत ने मातृ मृत्यु दर के संदर्भ में सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त की है। वैश्विक एमएमआर में कमी (रिडक्शन) की औसत वार्षिक दर 2000–2020 की अवधि में 2.07 प्रतिशत थी, जबकि भारत के एमएमआर में 6.36 प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक गिरावट से अधिक है [6]। सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत है। वित्त वर्ष 2023–24 में सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च 23.5 लाख करोड़ रुपये हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य पर खर्च बढ़कर 5.85 लाख करोड़ रुपये हुआ है। जबकि 2017–18 में सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च 11.39 लाख करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर खर्च 2.43 लाख करोड़ रुपये रहा था [7]। सतत् विकास लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2017 का निर्माण किया है।

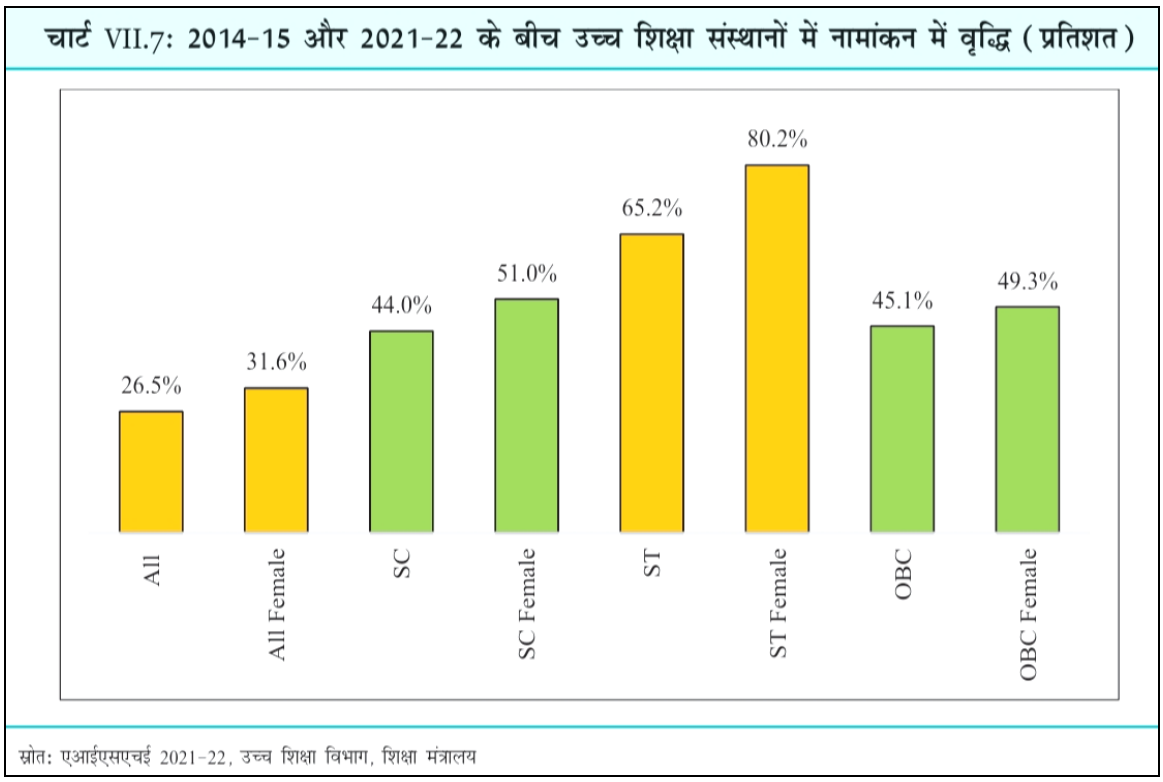

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या–226।

आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2023-24

तालिका VII.6: विभिन्न श्रेणियों से उच्च शिक्षा में नामांकन संख्या लाख में

	2014-15 में नामांकन	2021-22 में नामांकन
समस्त	342	433
सभी महिला	157	207
अनुसूचित जाति	46.1	66.2
एससी महिला	21	31.7
अनुसूचित जनजाति	16.4	27.1
एसटी महिला	7.5	13.5
अन्य पिछड़ा वर्ग	113	163
ओबीसी महिला	52.4	78.2

स्रोत: एआईएसएचई 2021-22, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या–226 ।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मनुष्य के संपूर्ण विकास तथा सतत् विकास के लिए शिक्षा का केंद्रीय स्थान है। इस लिए राज्य का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुर्वत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिस देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है [8]। भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण सतत् विकास लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया है। सरकार लगातार प्रयासरत है की शिक्षा के क्षेत्र में वह नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। भारत ने अपने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया है। उच्च संख्या में उच्च शिक्षा में लगातार नामांकन में वृद्धि हुई है तथा उच्च शिक्षा में समानता की वृद्धि भी हुई है।

स्वयं प्रभा ओपन ऑन लाइन अध्ययन का साधन है। जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री पूरे भारत में छात्रों को उपलब्ध है। केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न हस्तक्षेपों के लिये सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिये प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिये अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल पहलों के लिये सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये सुधारात्मक शिक्षण आदि [9]। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिये कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समानता के साथ शिक्षा तक पहुँच मिले, शिक्षा मंत्रालय ने सात जनवरी, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दिशा–निर्देश साझा किये हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, 6 से 18 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता पैदा करना, स्कूल बंद रहने के दौरान विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिये निरंतर शिक्षा, स्कूल फिर से खुलने पर विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना और शिक्षकों की क्षमता निर्माण शामिल हैं [10]।

लैंगिक समानता

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है तथा लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें आपराधिक कानूनों और 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961, 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' जैसे विशेष कानूनों का अधिनियमन शामिल है [11] । भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है, जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। विश्वस्तर पर, भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में वैश्विक औसत से 10 प्रतिशत अधिक महिला पायलट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्वस्तर पर लगभग पांच प्रतिशत पायलट महिलाएं हैं। भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है, यानी 15 प्रतिशत से अधिक [12]। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लगभग लड़कों के बराबर है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में लड़कियों / महिलाओं की उपस्थिति 43 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी

बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं। विज्ञानज्योति को 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। 2017–18 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप योजना भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है [13]।

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं। पंचायती राज संस्थाओं में 1.45 मिलियन या 46 प्रतिशत से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं (33 प्रतिशत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के मुकाबले)। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण किया था [14]।

महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी छलांग सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वां संविधान संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है [15]। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित की गई है ।

असमानता में कमी

भारत भिन्नताओं से भरा देश है तथा यहां कई स्तर पर असमानताएं व्याप्त है। भारत सरकार सभी प्रकार की ज्ञात असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इस प्रकार पलायन को रोका जा सके। इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन तथा कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी–बूटियों की खेती, सड़क कनेक्टिविटी, आवास एवं ग्रामीण अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन आदि सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने हेतु विभिन्न केन्द्रित उपायों की परिकल्पना की गई है [16]। सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केन्द्र–शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चयनित गांवों के व्यापक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 से लेकर 2025–26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है [17]। सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को कवर करता है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान दे सकें [18]।कार्यक्रम के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य हैं: (1) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना (2) मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए संवर्धित ऋण सहायता और राज्य तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करनाय (3) बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में उनके लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार करना और (4) सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण [19]। इसके अलावा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) नामक एक अन्य योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और पहचाने गए अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्रों में असंतुलन कम हो। पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्रों में हैं, और इनमें आवासीय विद्यालय, स्कूल भवन, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सद्भाव मंडप, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल केंद्र, खेल सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं आदि शामिल हैं [20]। भारत ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए काफी प्रयास किए हैं । आदिवासी समुदायों के लिए सरकार की शिक्षा पहल का एक प्रमुख घटक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) है। इन विद्यालयों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में एसटी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच को सुगम बनाना है। शैक्षणिक और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके, ईएमआरएस आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से 7 तक 480 छात्र रहते हैं [21]।

जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री ने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन किया और 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 25 ईएमआरएस की आधारशिला रखी । इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के समकक्ष बनाया गया है और स्थानीय जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, साथ ही खेल और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया गया है [22]। सरकार ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, विशेष रूप से आय सृजन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। टर्म लोन स्कीम व्यवहार्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए ऋण प्रदान करती है, जो 5 से 10 वर्षों की चुकौती अवधि के साथ इकाई लागत के 90 प्रतिशत तक सॉफ्ट लोन प्रदान करती है । आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना आदिवासी महिलाओं के लिए तैयार की गई है, जो सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख रुपये तक के रियायती ऋण प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, माइक्रो क्रेडिट स्कीम 5 लाख रुपये प्रति **एसएचजी** तक के ऋण की पेशकश करके आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (**एसएचजी**) का समर्थन करती है । आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (**एएसआरवाई**) आदिवासी छात्रों को सॉफ्ट लोन प्रदान करती है, जिससे उन्हें पढ़ाई के दौरान ब्याज सब्सिडी के साथ उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलती [23]। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) का उद्देश्य उन गांवों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, जहां आदिवासी आबादी अधिक है। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले 36428 गांवों और 500 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) वाले गांवों की पहचान की गई है, ताकि इन गांवों में बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसमें नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल हैं [24]। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की पहलों ने इन समुदायों के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक ताने–बाने को काफी हद तक बढ़ाया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय समुदायों को विकास की खाई को पाटने और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक

सहायता मिले। पीएम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और ईएमआरएस और पीएम–जनमन जैसी अन्य पहल जनजातीय आबादी को सशक्त बनाने और भारत की विकास गाथा में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं [25] । उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए भी भारत सरकार ने काफी प्रयास किए हैं । सरकार ने पीएम डिवाइन नामक योजना का संचालन इस क्षेत्र के विकास के लिए किया है। ''पीएम–डेवाइन'' के उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत् विकास में तेजी लाने के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इन लक्ष्यों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं के माध्यम से तीव्र और व्यापक विकास, युवाओं और महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक अंतराल को संबोधित करना शामिल है [26]। 2022–23 के केंद्रीय बजट में घोषित सरकार की पूरी तरह से वित्त पोषित पीएम–डिवाइन योजना पीएम गतिशक्ति के साथ जुड़े उत्तर–पूर्व के बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं का समर्थन करती है। जिससे क्षेत्र के बीच अंतराल को घ्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं की आजीविका पैदा होती है[27] ।

सरकार के प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सरकार के साथ–साथ नागरिक समाज, मीडिया, राजनीतिक दल सभी को अपनी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीक का भी सहारा लेना होगा तथा नई तकनीक का विकास करना होगा। सुशासन तथा पारदर्शिता के द्वारा यह कार्य और भी आसान हो सकता है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाता है। इसके लिए जनता को जागरूक करना होगा तथा शिक्षा का विस्तार करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा से आम जनता को लैस करना होगा। समाज तथा परिवार में व्याप्त सामाजिक समस्याओं के प्रति आम जनता को जागरूक करना होगा। सरकार को सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अधिक भाग खर्च करना चाहिए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि इसके द्वारा मानव संसाधन का विकास होगा तथा आम जनता में जागरुकता आएगी।

संदर्भ सूची

1. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1996271#:~:text=the%20multidimensional%20poverty%20index%20 .
2. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1996271#:~:text=The%20Multidimensional%20Poverty%20Index%20.
3. ttps://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1996271#:~:text=The%20Multidimensional%20Poverty%20Index%20 .
4. https://pmssy.mohfw.gov.in/index4.php?lang=2&level=0&linkid=53&lid=73#:~:text .
5. https://pmssy.mohfw.gov.in/index4.php?lang=2&level=0&linkid=53&lid=73#:~:text .
6. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2003598.
7. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2034999.
8. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 , पृष्ठ संख्या -3।
9. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038146.
10. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038146.
11. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697.
12. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697.
13. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697.
14. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697.
15. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697.
16. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1985993.
17. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1985993.
18. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1796196.
19. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1796196.
20. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1796196.
21. https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153230&ModuleId=3&reg=3&lang=2.
22. https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153230&ModuleId=3&reg=3&lang=2.
23. https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153230&ModuleId=3&reg=3&lang=2.
24. https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153230&ModuleId=3&reg=3&lang=2.
25. https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153230&ModuleId=3&reg=3&lang=2.
26. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1950966.
27. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1950966.